रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92

REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 1992/ज्येष्ठ 28, 1914
No. 113] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 1992/JYAISTHA 28, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 16–आई टी सी (पी एन)/92–97

नई दिल्ली, 18 जून, 1992

विषय :—निर्यात अभिमुख यूनिटों (ई ओ यू) और निर्यात संसाधन क्षेत्र (ई पी जेड) की यूनिटों द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डी टी ए) में माल की बिक्री के लिए दिशा-निर्देश।

1. 25 % से 15 % तक डी टी ए बिक्री की हकदारी।

फा.सं. 3/11/88-ई पी सी.—निर्यात और आयात नीति के पैरा 102 (ख) तथा प्रक्रिया पुस्तक (1992–97) के पैराग्राफ 181, 182 और 183 में निर्यात अभिमुख यूनिटों और निर्यात संसाधन क्षेत्र की यूनिटों द्वारा उनके उत्पादन मूल्य के 25 % या 15 % तक जैसी भी स्थिति हो घरेलू टैरिफ क्षेत्र में माल बेचने की व्यवस्था है। घरेलू टैरिफ क्षेत्र में ऐसी बिक्री निम्नलिखित दिशा-निर्देशों द्वारा शासित होगी :—

(क) घरेलू टैरिफ क्षेत्र में माल की बिक्री राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित लागू शुल्कों के भुगतान के अध्यधीन होगी।

(ख) घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री हकदारी केवल ऐसे माल पर ही लागू होगी जो अनुज्ञा पत्र/आशय पत्र में विनिर्माण एवं निर्यात के लिए अनुमोदित हों। यदि इस प्रकार की बिक्री का अनुज्ञापत्र/आशय पत्र में विशेष रूप से निषेध किया गया हो तो घरेलू टैरिफ क्षेत्र में किसी प्रकार की बिक्री की अनुमति नहीं होगी।

(ग) यूनिटें संबंधित निर्यात संसाधन क्षेत्र के विकास आयुक्त की सूचित करके तिमाही, अर्द्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री कर सकती हैं।

(घ) घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री हेतु आवेदन पत्र हकदारी अवधि के एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। संबंधित निर्यात संसाधन क्षेत्र का विकास आयुक्त, यदि वह उचित समझे तो इस अवधि को छः माह तक बढ़ा सकता है।

(ङ) घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री के लिए किए गए आवेदन पत्र के साथ एक विवरण भेजा जाएगा जिसमें उत्पादित माल (अपशिष्टों को छोड़कर) का कारखाने पर मूल्य; वास्तविक रूप में निर्यात किए गए माल का कारखाने पर मूल्य; और निर्यातित माल के विनिर्माण में प्रयुक्त देशी कच्चे माल संघटकों और

उपभोज्यों के मूल्य का उल्लेख हो। इस विवरण को किसी स्वावलम्बी लागत/सनदी लेखाकार द्वारा सत्यापित और सीमा-शुल्क/केन्द्रीय आबकारी अधिकारी, जिसके क्षेत्राधिकार में यूनिट हो, द्वारा पृष्ठांकित किया जायेगा। संबंधित निर्यात संसाधन क्षेत्र का विकास आयुक्त अनुमेय घरेलू टैरिफ क्षेत्र को बिक्री की सीमा निर्धारित करके घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बेचे जाने हेतु माल की विशिष्टि मात्रा को निकासी के लिए एक प्राधिकार पत्र जारी करेगा।

(ग) यदि घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बेचे जाने वाले माल के लिए किसी अधिनियम/नियमावली/विनियम के अन्तर्गत कोई गुणवत्ता नियंत्रण प्रमाण पत्र जरूरी हो, तो घरेलू टरिफ क्षेत्र में बिक्री की अनुमति केवल ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दी जाएगी।"

(छ) उपर्युक्त उप पैरा (ग) के अन्तर्गत यथानिर्दिष्ट संबद्ध अवधि के दौरान माल का निर्यात किए जाने के बाद ही घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री के लिए हकदारी प्राप्त होगी। तथापि, इस अपेक्षा को ऐसे माल के मामले में नजर अन्दाज किया जा सकता है, जिसके लिए, संबंधित निर्यात संसाधन क्षेत्र के विकास आयुक्त की राय में, आजमायशी उत्पादन जरूरी हो ताकि निर्यात योग्य गुणवत्ता के माल का उत्पादन हो सके।

(ज) आजमायशी उत्पादन के संबंध में अग्रिम घरेलू टैरिफ क्षेत्र बिक्री की अनुमति पहले वर्ष में परिकल्पित उत्पादन के कारखाने पर मूल्य के 25 % या 15 % (जैसी कि स्थिति हो) से अधिक नहीं होगी। ऐसी अग्रिम घरेलू टैरिफ क्षेत्र की बिक्री का समायोजन घरेलू टरिफ क्षेत्र की बिक्री के लिए परवर्ती हकदारी के तहत किया जायगा। यूनिट के लिए संबंधित निर्यात संसाधन क्षेत्र के विकास आयुक्त के साथ एक बैंधपत्र प्रस्तुत करना जरूरी होगा ताकि अग्रिम घरेलू टैरिफ क्षेत्र की बिक्री पर प्रदत्त शुल्कों और ऐसे माल पर लागू कुल शुल्कों की धनराशि के बीच का अन्तर समाविष्ट किया जा सके।

(i) 25 % या 15 % जैसी कि स्थिति हो, की अधिकतम घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री की हकदारी की अनुमति तब दी जा सकती है यदि यूनिट द्वारा अर्जित मूल्य संयोजन अनुज्ञापत्र/आशय पत्र में विहित मूल्य संयोजन से कम न हो। यदि यूनिट अनुज्ञापत्र/आशय पत्र में विहित मूल्य संयोजन प्राप्त करने में असफल रहती है तो घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री की हकदारी का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा :—

(1) यदि अर्जित मूल्य संयोजन अनुज्ञापत्र/आशय पत्र में निर्धारित मूल्य संयोजन के 90 % से कम न हो तो यूनिट को 25 % या 15 % जैसी की स्थिति हो, की घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री की पूर्ण हकदारी प्राप्त होगी।

(2) यदि अर्जित मूल्य संयोजन अनुज्ञापत्र/आशय पत्र में निर्धारित मूल्य संयोजन के 90 % से कम हो तो घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री की हकदारी का निर्धारण निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किया जायगा :

$$\frac{\text{अर्जित मूल्य संयोजन की प्रतिशतता}}{\text{अनुज्ञापत्र/आशय पत्र में निर्धारित मूल्य संयोजन की प्रतिशतता}} \times 25 \text{ या } 15\ \% \text{ (जैसी की स्थिति हो)}$$

उपर्युक्त दोनों मामलों में घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री की अनुमति केवल तब दी जाएगी जबकि अर्जित मूल्य संयोजन निर्यात आयात नीति के परिशिष्ट-2 की मद के लिये निर्दिष्ट मूल्य संयोजन के न्यूनतम स्तर से कम न हो अथवा जहां उस परिशिष्ट में ऐसा कोई प्रतिशत विनिर्दिष्ट न किया गया हो तो निर्यात-आयात नीति के पराग्राफ 97 में निर्धारित किये गये 20 प्रतिशत के न्यूनतम मूल्य संयोजन से कम हो।

2. घरेलू टैरिफ क्षेत्र में अन्य बिक्री

निर्यात-आयात नीति के पैराग्राफ 103 और प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 184 में विनिर्दिष्ट सप्लाई के संबंध में घरेलू टैरिफ क्षेत्र में आने वाले सामान की बिक्री के लिये निम्नलिखित विशा निर्देश लागू होंगे :

(क) आवेदन करते समय यूनिट घरेलू टैरिफ क्षेत्र में सप्लाई किये जाने वाले सामान की मात्रा और मूल्य का उल्लेख करेगी। यदि बिक्री घरेलू टैरिफ क्षेत्र में खरीदार द्वारा धारित लाइसेंस से की जाती है तो संबंधित सीमाशुल्क/केन्द्रीय उत्पाद अधिकारी ऐसी बिक्री की अनुमति तभी देगा जब वह विकास आयुक्त द्वारा अनुमेय ऐसी बिक्री की मात्रा और मूल्य को लाइसेंस में उपयुक्त प्रविष्टि कर लेगा। आयात लाइसेंस निर्यात अभिमुख यूनिटों/निर्यात संसाधन अंचल की यूनिटों द्वारा की जाने वाली ऐसी सप्लाई की सीमा तक आगे आयात के लिए बैध नहीं रहेगा।

(ख) यदि निर्यात अभिमुख यूनिटों/निर्यात संसाधन अंचल की यूनिटों द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तावित सामान के लिये आयात लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी तो यूनिट संगत दस्तावेजों के साथ संबंधित निर्यात संसाधन अंचल के विकास आयुक्त के एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। संबंधित सीमाशुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी संबंधित विकास आयुक्त द्वारा जारी किये गये रिलीज आदेश के लिये घरेलू टैरिफ क्षेत्र में यूनिट को ऐसी सप्लाई करने की अनुमति दे देगा। रिलीज आदेश दो प्रतियों में जारी किया जायेगा और मूल प्रति यूनिट द्वारा निर्यात के साक्ष्य के लिए रख ली जायेगी।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के अन्तर्गत सप्लाई किये गये सामान के मूल्य को निर्यात दायित्व निर्वाहन और मूल्य संयोजन उपलब्धि के प्रयोजन के लिये निर्यात को जहाजी भाड़े सहित मूल्य माना जायेगा।

3. रिजेक्टस की बिक्री

घरेलू टैरिफ क्षेत्र में रिजेक्टस की बिक्री जैसा कि निर्यात आयात नीति के पैरा 102(क) और प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 180 में व्यवस्था की गई है, जो संबंधित निर्यात संसाधन क्षेत्र के विकास आयुक्त की पूर्वानुमति के साथ की जायेगी।

4. उप उत्पादों की बिक्री

उपर्युक्त विशा निर्देश निर्माण प्रक्रिया के दौरान निर्यात अभिमुख यूनिटों निर्यात संसाधन अंचलों की यूनिटों द्वारा तैयार किये गये उप उत्पादों की बिक्री के लिये लागू नहीं होते हैं। घरेलू टैरिफ क्षेत्र के अन्तर्गत ऐसे उप उत्पादों की बिक्री इस प्रकार की जायेगी :—

(i) यदि ऐसी बिक्री अनुज्ञापत्र/आशय पत्र में अनुमेय है, अथवा

(ii) किसी अन्य मामले में; अनुमोदन बोर्ड की पूर्वानुमति के साथ।

5. सामान्य

इस सार्वजनिक सूचना में विहित विशा निर्देश आर ई पी परिपत्र सं. 8/88 दिनांक 2-5-88 और सं. 36/91 दिनांक 11-9-91 का अतिक्रमण करते हैं।

यह सूचना लोकहित में जारी की जाती है।

डी. आर० मेहता, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 16 ITC(PN)/92—97

New Delhi. the 18th June, 1992

Subject : Guidelines for sale of goods in the Domestic Tariff Area (DTA) by Export Oriented Units (EOUs) and units in Export Processing Zones (EPZs).

I. DTA sale entitlement upto 25%/15%

F. No. 3/11/88-EPC.—Paragraph 102 (b) of the Export and Import Policy and paragraphs 181, 182 and 183 of the Hand book of Procedures (1992—97) provide for sale of goods in the DTA by EOUs and units in EPZs upto 25% or 15%, as the case may be, of the value of their production. Such sales in the DTA will be governed by the following guidelines :

(a) The sale of goods in the DTA will be subject to the payment of the applicable duties as notified from time to time by the Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India.

(b) DTA sale entitlement will be applicable only to those goods that are approved for manufacture and export in the Letter of Permission/Letter of Intent. No DTA sale will be permissible if such sale is specifically prohibited in the Letter of Permission/Letter of Intent.

(c) Units may opt for DTA sales on a quarterly, half yearly or annual basis by intimation to the Development Commissioner of the EPZ concerned.

(d) Applications for DTA sales should be submitted within one year of the period of entitlement. The Development Commissioner of the EPZ concerned, may, if he deems it fit, extend this period by six months.

(e) An application for DTA sale shall be accompanied by a statment indicating the ex-factory value of the goods produced (excluding rejects); ex-factory value of the goods actually exported; and the value of indigenous raw materials, components and consumables used in the manufacture of the exported goods. The statement shall be certified by an independent Cost/Chartered Accountant and endorsed by the Customs/Central Excise Officer having jurisdiction over the unit. The Development Commissioner of the EPZ concerned will determine the extent of the DTA sale admissible and issue an authorisation for removing a specified quantity of the goods to be sold in the DTA.

(f) if the goods sought to be sold in the DTA requires any quality control certificate under any Act/Rule/Regulation, the DTA sale will be allowed only after the production of such a certificate.

(g) DTA sale entitlement shall accure only after the goods are exported during the relevant period as indicated under sub-para (c) above. However, this requirement may be waived in the case of such goods which, in the opinion of the Development Commissioner of the EPZ concerned, require trial production in order to produce goods of exportable quality.

(h) Advance DTA sale permission in respect of trial production shall not exceed 25% or 15% (as the case may be) of the ex-factory value of the production envisaged in the first year. Such advance DTA sale shall be adjusted against the subsequent entitlement for DTA sale. The unit shall be required to execute a bond with the Development Commissioner of the EPZ concerned to cover the difference between the amount of duties paid on the advance DTA sale and the full duties applicable on such goods.

(i) The maximum DTA sale entitlement of 25% or 15%, as the case may be, is permissible if the value addition achieved by the unit is not less than the value addition stipulated in the Letter of Permission/Letter of Intent. In case the unit fails to achieve the value addition stipulated in the Letter of Permission/Letter of Intent, the DTA sale entitlement will be determined as follows :

(i) If the value addition achieved is not less than 90% of the value addition stipulated in the Letter of Permission/Letter of Intent the unit will receive the full DTA sale entilement of 25% or 15% as the case may be.

(ii) If the value addition achieved is less than 90% of the value addition stipulated in the Letter of Permission/Letter of Intent, the DTA sale entitlement will be determined according to the following formula

$$\frac{\text{Value addition percentage achieved}}{\text{value addition percentage stipulated in the Letter of Permission/Letter of Intent}} \times 25 \text{ or } 15\% \text{ (as the case may be)}$$

The DTA sale in both the cases mentioned above will be permissible only if the value addition achieved is not less than the minimum level of value addition specified for the item in Appendix II of the Export and Import Policy or where no such percentage is specified in that Appendix, the minimum value addition of 20 per cent stipulated in paragraph 97 of the Export and Import Policy.

II. Other sales in DTA

The following guidelines shall apply to the sale of goods in the DTA in respect of supplies specified in pargaraph 103 of the Export and Import Policy and paragraph 184 of the Handbook of Procedures :

(a) The unit shall, at the time of application, indicate the quantity and value of goods sought to be supplied in the DTA. If the sale is effected against an import licence held by the DTA purchaser, the Customs/Central Excise Officer concerned will allow such sales after making a suitable entry on the licence of the quantity and value of such sales permitted by the Development Commissioner. The import licence shall cease to be valid for further imports to the extent of such supplies effected by EOU/EPZ units.

(b) If the goods proposed to be sold by the EOU/EPZ unit do not require an import licence, the unit may submit an application to the Development Commissioner of the EPZ concerned supported by the relevant documents. The Customs/Central Excise Officer concerned will allow such supplies to the unit in the DTA against a Release Order issued by the Development Commissioner concerned. The Release Order will be issued in duplicate, the original being retained by the unit as evidence of export.

(c) The value of the goods supplied under (a) and (b) above will be treated as the FOB value of exports for the purposes of discharging export obligation and achievement of value addition.

III. Sale of rejects

Sale of rejects in the DTA, as provided for in para 102 (a) of the Export and Import Policy and para 180 of the Handbook of Procedures may be made with the prior permission of the Development Commissioner of the EPZ concerned.

IV. Sale of bye-products

The aforementioned guidelines do not apply to the sale of bye-products generated by an EOU/EPZ unit during the process of manufacture. The sale of such bye-products in the DTA may be made—

(i) if such sale is permitted in the Letter of Permission/ Letter of Intent; or

(ii) in any other case with the prior permission of the Board of Approvals.

V. General

The guidelines contained in this Public Notice shall supercede the EP Circular No. 18/88 dated 2-5-88 and 36/91 dated 11-9-91.

This Notice is issued in public interest.

D. R. MEHTA, Chief Controller of Imports & Exports

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110054
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992